The Uttar Pradesh Highest Income Limit (Antaran Par Asthayi Nirbandhan) Adhiniyam, 1972

Act 36 of 1972

Keyword(s):
Krishi-Bhumi, Shahri Sampati, Bahujan-Parit Company

Amendment appended: 45 of 1972

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

L.H. 13/72-38
cop. 3

135901

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1972)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 27-7-1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 2-8-1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 9-9-1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 11-9-1972 ई० को प्रकाशित हुआ।]

कृषि भूमि तथा शहरी सम्पत्तियों के कतिपय अन्तरणों को, अस्थायी अवधि के दौरान, निर्बन्धित करने और तत्सम्बद्ध प्रयोजनों की व्यवस्था के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषाएं

2--इस अधिनियम में, जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) "कृषि-भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यानकरण या पशुपालन, (जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन और कुक्कुट पालन भी है) से संबंध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये हो और इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि पर विद्यमान कोई भवन, वृक्ष, कुएं तथा अन्य समुन्नतियां भी ह;

(ख) "शहरी सम्पत्ति" का तात्पर्य उन समस्त भूमि और भवनों से है जो किसी नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या कन्टोनमेंट बोर्ड के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किसी क्षेत्र में स्थित हों, किन्तु इसके अन्तर्गत व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, उद्योग या ऐसे ही अन्य तत्सदृश कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ भूमि म लगाये गये या भवन में अन्तर्विष्ट कोई संयंत्र, मशीन या अन्य फिक्सचर नहीं है;

(ग) "बहुजन-धारित कम्पनी" का तात्पर्य कम्पनीज ऐक्ट, 1956 में यथापरिभाषित कम्पनी (जो प्राइवेट कम्पनी न हो) से है, जिसके अंश सिक्यूरिटीज कांट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1956, और तदधीन बनाये गये नियमों के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूची-बद्ध हों।

अन्तरण पर निर्बन्धन

3--(1) दिनांक 12 जुलाई, 1972 से प्रारम्भ होने वाली तीन महीने की अवधि के भीतर कोई व्यक्ति, उपधारा (3) और (4) में स्पष्टतया की गयी व्यवस्था के सिवाय, किसी शहरी सम्पत्ति या कृषि भूमि का अन्तरण नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) का उल्लंघन करके किया गया कोई अन्तरण शून्य होगा और तदनुसार किसी अधिकतम सीमा का, जो एतत्पश्चात् किसी विधि के अधीन आरोपित किया जाय, अवधारण करने के प्रयोजनार्थ उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।

(3) उपधारा (1) की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं समझी जायगी--

(क) एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये शहरी सम्पत्ति के किसी पट्टे पर;

(ख) 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 157 में व्यवस्थित मामलों में कृषि भूमि के किसी पट्टे पर;

(ग) उन सभी अन्तरणों पर जो निम्नलिखित द्वारा या उसके पक्ष म किया गया हो--

(1) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण;

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 27-7-1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

(2) कोई निगमित निकाय (जिसमें कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई कम्पनी शामिल है) जिसमें समादत्त अंशपूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत केंद्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, या अंशतः केंद्रीय सरकार और अंशतः राज्य सरकार द्वारा, धृत हो ;

(3) विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् या विधि द्वारा स्थापित अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई अन्य निगम ;

(4) कोई सहकारी समिति जिसकी अंश पूंजी में राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से अंशदान किया हो अथवा जिसकी अंशपूंजी के निर्माण या वृद्धि में, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अध्याय 6 में व्यवस्थित रीति से उसने अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की हो, अथवा उक्त अधिनियम के अर्थान्तर्गत कोई शीर्ष समिति अथवा कोई सहकारी भूमि विकास बैंक ;

(5) कोई बहुजन धारित कम्पनी;

(6) उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित बैंकिंग कम्पनी, अथवा कोई सहकारी बैंक ।

(4) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायें, किसी शहरी सम्पत्ति अथवा कृषि भूमि को इस अधिनियम के उपबन्धों से अवमुक्त कर सकती है; और यदि ऐसी सम्पत्ति या भूमि का प्रयोग शैक्षिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक या व्यापारिक प्रयोजनों के लिये या अन्य उसी प्रकार के प्रयोजनों के लिये किया जाने वाला हो, तो उसके विक्रय या अन्य अन्तरण की अनुज्ञा दे सकती है ।

रजिस्ट्रीकरण पर निर्बन्धन

4—भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त कोई रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी धारा 3 द्वारा प्रतिषिद्ध किसी अन्तरण से सम्बद्ध किसी लेख्य का रजिस्ट्रीकरण नहीं करेगा ।

यह अधिनियम किसी अन्य विधि या संविदा पर अभिभावी होगा ।

5—इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी अन्य विधि, या किसी संविदा अथवा अन्य संलेख में तत्संबंधी किसी असंगत बात क होते हुए भी प्रभावी होंग ।

निरसन तथा अपवाद ।

6—(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

उत्तर प्र अध्यादे संख्या 1972

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायगी मानों यह अधिनियम 12 जुलाई, 1972 को प्रवृत्त हो गया था ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—180 जनरल (लेग०)—1972 1,855 (मे०)।

वि... ...लय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
145833
L.A.
15/72.45
Cop. 3

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) अधिनियम, 1972

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, 1972]

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 22 दिसम्बर, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 23 दिसम्बर, 1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 220 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 24 दिसम्बर, 1972 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में दिनांक 31-12-1972 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

घोषणा

2—एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य-नीति को कार्यान्वित करने के लिये है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1972 की धारा 3 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में —

(1) उपधारा (1) में,—

(क) शब्द तथा अंक "दिनांक 12 जुलाई, 1972 से प्रारम्भ होने वाली तीन महीने की अवधि के भीतर" के स्थान पर शब्द तथा अंक "दिनांक 12 जुलाई, 1972 से 31 जनवरी, 1973 तक की अवधि के भीतर" रख दिये जायं;

(ख) शब्द तथा अंक "उपधारा (3) और (4)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उपधारा (3), (4) और (5)" रख दिये जायं;

(ग) शब्द "या कृषि भूमि" निकाल दिये जायं;

(2) उपधारा (3) में—

(क) खण्ड (ख) निकाल दिया जाय;

(ख) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायं, अर्थात्—

"(घ) 11 जुलाई, 1972 के पूर्व संस्थित किसी वाद में सक्षम न्यायालय द्वारा दी गयी किसी डिक्री अथवा यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट, 1934 की धारा 14 के अधीन किसी डिक्री के निष्पादन में शहरी सम्पत्ति के किसी अन्तरण पर;

(ङ) किसी सहकारी आवास समिति के पक्ष में शहरी सम्पत्ति को बन्धक रखने पर, यदि ऐसी सम्पत्ति कोई निर्मित अथवा निर्माण के लिये प्रस्तावित भवन हो, अथवा ऐसे भवन या प्रस्तावित भवन का स्थल हो, और खण्ड (ग) के उप खण्ड (4) में अभिदिष्ट सहकारी समिति द्वारा व्यवस्थित निधि में से उक्त समिति द्वारा दिये गये ऋण या अग्रिम धनराशि में से पूर्णतः या अंशतः क्रय किया गया हो अथवा क्रय किये जाने के लिये प्रस्तावित हो।";

(3) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय —

"(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, डिवीजन का आयुक्त, यह समाधान हो जाने पर कि 1 अप्रैल, 1969 को, और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को भी, किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के सदस्यों सहित धृत शहरी सम्पत्ति

(उद्देश्य और करणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 23-12-1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

का वर्तमान बाजार मूल्य दो लाख रुपये से अधिक नहीं है, उसे ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति अथवा उसके भाग का अन्तरण करने की अनुज्ञा दे सकता है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में, "परिवार" का तात्पर्य उसके पति या उसकी पत्नी और अवयस्क पुत्रों तथा (विवाहित पुत्रियों से भिन्न) पुत्रियों से है।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16, 1972 का निरसन

4—उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—101 जनरल (सेग०)—1974—1,859+50 S.S. (मे०)।